Rule 69: 1[\*\*\*\*]

Rule 69 omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it was read as,

## "Rule 69: Matching of claim of input tax credit

The following details relating to the claim of input tax credit on inward supplies including imports, provisionally allowed under section 41, shall be matched under section 42 after the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3**-

- (a) Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
- (c) invoice or debit note number;
- (d) invoice or debit note date; and
- (e) tax amount:

**Provided** that where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** specified under section 37 and **FORM GSTR-2** specified under section 38 has been extended, the date of matching relating to claim of input tax credit shall also be extended accordingly:

**Provided further** that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching relating to claim of input tax credit to such date as may be specified therein.

Explanation- For the purposes of this rule, it is hereby declared that –

- (i) The claim of input tax credit in respect of invoices and debit notes in FORM GSTR- 2 that were accepted by the recipient on the basis of FORM GSTR-2A without amendment shall be treated as matched if the corresponding supplier has furnished a valid return;
- (ii) The claim of input tax credit shall be considered as matched where the amount of input tax credit claimed is equal to or less than the output tax paid on such tax invoice or debit note by the corresponding supplier."

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 69 : <sup>1</sup>[.....]

। अधिसूचना क्रमांक 19/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 69 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

## "नियम 69 : इनपुट कर प्रत्यय के दावे का सुमेलीकरण

आवक प्रदायों, जिनके अंतर्गत धारा 41 के अधीन अनंतिम रूप से अनुज्ञात आयात भी हैं, पर इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे, प्ररूप जीएसटीआर—3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात्, धारा 42 के अधीन सुमेलित होंगे—

- (क) प्रदायकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
- (ख) प्राप्तकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
- (ग) बीजक या नामे नोट संख्या;
- (घ) बीजक या नामे नोट तारीख; और
- (ड.) कर रकम;

परन्तु जहां धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटीआर—1 और धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटीआर—2 को प्रस्तुत करने के लिए समय—सीमा बढ़ाई गई है वहां इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलिकरण की तारीख भी तदनुसार बढ़ाई जाएगी:

परन्तु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) प्ररूप जीएसटीआर—2 में उन बीजकों और नामे नोटों, जिन्हें संशोधन के बिना प्ररूप जीएसटीआर—2क के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि तत्स्थानी प्रदायकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है;
- (ii) इनपुट कर प्रत्यय का दावा यथा सुमेलित माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे कर बीजक या नामे नोट पर संदत्त उत्पादन कर के बराबर है या उससे कम।